



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6152

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42138 सन् 2025

विशाल कश्यप

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अंजलि सिंह तोमर, गौरव सिंह तोमर, इन्दर पाल सिंह तोमर
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 360 सन् 2024, उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना हाथरस कोतवाली, जनपद हाथरस में विचारण की लम्बित अवधि में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी छिपे उद्देश्य के कारण इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि गैंग-चार्ट में वर्णित सभी प्रकरणों में आवेदक को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता अथवा आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में सहायता अथवा मदद नहीं की है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 28.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है, यह वचन देता है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण का शीघ्र समापन होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में पारित निर्णय पर आधारित तर्क प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों की लम्बितता स्वयं में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए गैंग-चार्ट में दर्शाए गए मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला भी नहीं बता सके।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **विशाल कश्यप** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा (i) प्रकरण के प्रारंभ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii) कथन अभिलिखित करने हेतु नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक एक वचन-पत्र दाखिल करेगा जिसमें यह अभिकथन होगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तारीखों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन हेतु है और इसे किसी भी रूप में प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।